



**भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद
निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)**

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/इश्यू/3/25-26/885

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 की अवधि अर्थात दो वित्तीय वर्षों के लिए सिक्कों के बैग और नोट बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा विधि के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समय-सीमा इस प्रकार है:

एमएसटीसी/आरबीआई की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने, डाउनलोड करने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
बोली शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
बोली बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
भाग-1 (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे

उपर्युक्त किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी हो जाएगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमन और दीव
और दादरा और नगर हवेली**

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1. ई-निविदा सं.	आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/इश्यू/3/25-26/885
2. कार्य का नाम:	(क) भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों के अधिकार क्षेत्र में या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में आरबीआई, अहमदाबाद, करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसर में काम की विविध आकस्मिक वस्तुओं के लिए बैग में पैक किए गए सिक्कों को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग, स्टैकिंग करना। (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसरों में और बैंक द्वारा पहचान किए गए किसी भी परिसर में भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों के परिसरों में लोडिंग, अनलोडिंग, तौलना, कार्टिंग, स्टैकिंग, फुल नोटबॉक्स फैलाना, फैलाना।
3. निविदा का तरीका:	एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय/मूल्य बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/
4. ई-निविदा देखने के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की सूचना उपलब्ध होने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
5. बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय	20 फ़रवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे। यह बैठक अहमदाबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। (जो प्रतिभागी बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त स्थान और तिथि और समय पर उपस्थित रहें)
6. काम की अनुमानित लागत:	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष जीएसटी सहित 1,25,00,000/- रुपये (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र)।
7. बयाना जमाराशि (ईएमडी)	₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में। ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को गैर-प्रामाणिक माना जाएगा और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अस्वीकार कर दिया जाएगा। लाभार्थी का नाम – Reserve Bank of India Ahmedabad खाता संख्या. 186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए) ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

8. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	05 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
9. निष्पादन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा (अनुबंध अवार्ड किए गए ठेकेदार के लिए लागू)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/जमानत राशि प्रस्तुत की जाएगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
10. https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय/मूल्य बोली शुरू होने की तारीख	24 फ़रवरी, 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे
11. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय/मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तिथि	06 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 तक
12. भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	06 मार्च, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे
13. भाग-II (अर्थात् वित्तीय बोली) के खुलने की तिथि और समय	पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
14. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान या तो एनईएफटी द्वारा, चालान के माध्यम से या एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा किया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से भुगतान को अधिकृत करेगा। ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने के लिए शुल्क एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी के माध्यम से या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा यथासूचित अनुसार किया जाएगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या कोई अन्य जानकारी जो इसके साथ उपलब्ध कराई जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन, व्यक्त या निहित नहीं करते हैं।

इसका यह आशय नहीं है कि जानकारी पूर्ण है। इच्छुक पार्टियों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्वयं की पूछताछ कर लें और और उत्तरदाताओं से अपेक्षित होगा कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई, अहमदाबाद द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

एमएसटीसी पोर्टल पर ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह एमएसटीसी लिमिटेड का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया

पंजीकरण: -

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली निम्नलिखित साइट पर ऑनलाइन जमा की जानी है-
www.mstcecommerce.com/eprocn/ (Version 3)

विक्रेताओं से अपेक्षित है कि वे www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करें

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं, सबमिट करें।

अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं, विक्रेताओं को उनके उस ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

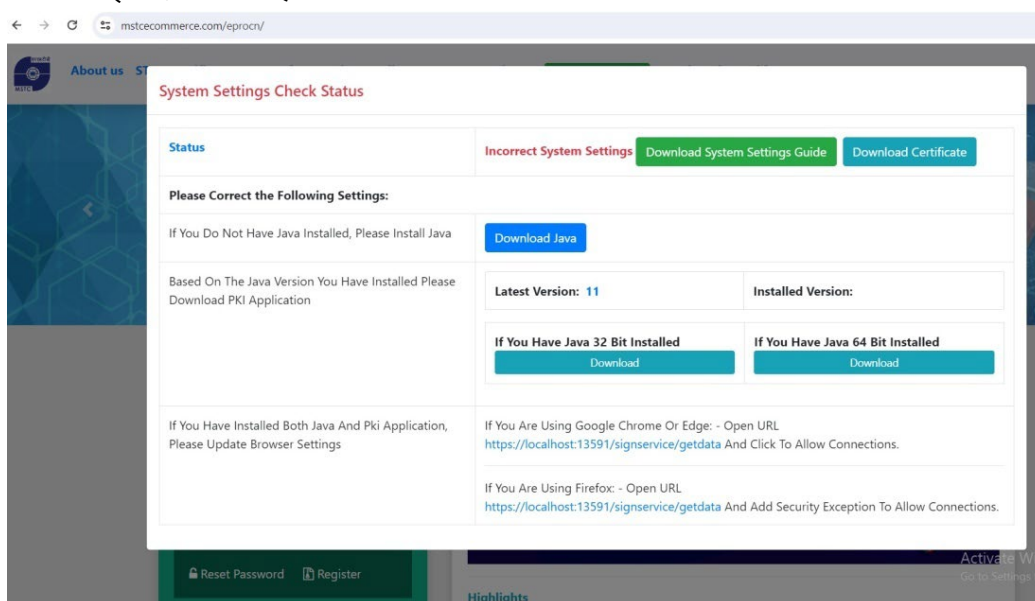
मेघा सिन्हा, डीएम megha@mstcindia.co.in Ph-0265-2960354/2960379/2960385	मारुत साहा, प्रबंधक adpn3@mstcindia.co.in Ph-0265 2960354/2960379/2960385
---	---

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

दिलीप बी.एस. राठौर, समग्र drathore@rbi.org.in 079-27548203	2. सारंग सालुंके, सप्र svsalunke@rbi.org.in 079-27548212
--	---

सिस्टम की आवश्यकता: -

- i) विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।



2. (A) भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोलते हुए देख सकते हैं।

(B) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की भाग-II मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर कोई मौल-भाव नहीं होगा। इसलिए कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें जमा करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को अभी भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

4. विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 4 एमबी है। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड

	के निर्देशों का पालन करें। लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी/आरटीजीएस या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा। विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी। नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईवेंट के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए स्वयं को पर्याप्त समय मिल सके।
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध है और एमएसटीसी (अर्थात सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षों को सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को याद नहीं किया है। संबंधित शुद्धिपत्र को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डाउनलोडिंग पार्टियों की होगी। (ii) इस एनआईटी के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (ओं) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi देखें।
7.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
8.	ई-टेंडर में बोली लगाना: (a) बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) जमा करने की आवश्यकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को कार्य सौंपे जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा वापस कर दिया जाएगा। (b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली ही प्रस्तुत कर सकते हैं www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें → दस्तावेज़ संलग्न करें → मूल्य बोली।

कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। सफल/लंबित बोली की स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

(c) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

(d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

(e) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

(f) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

(g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**

	(h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। (i) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो। (j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। (k) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा प्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
9.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
10.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
11.	ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर के साथ बोली जमा करने के बाद निविदा को एक्सेस नहीं कर सकता है।
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
15.	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जफ्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

विषय-सूची सारणी

मद	विवरण
भाग - I	
Section I	निविदा का रूप
Section II	बोलीदाताओं को निर्देश
Section III	अनुबंध के नियम और शर्तें
Section IV	निविदाकर्ताओं द्वारा भरा जाने वाला विवरण
Section V	तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
भाग - II	
मूल्य बोली	



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/इश्यू/3/25-26/885

सिक्कों के बैग और नोट बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए
ई-निविदा

भाग I

कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें
(खंड I से V)

खंड - I

निविदा का प्रपत्र

स्थान _____

तारीख _____

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद - 380014

महोदया/महोदय,

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और दौरान करने तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की प्रकृति की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्राओं, विनिर्देशों की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों के अनुसार, वाणिज्यिक शर्तों, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों के साथ और ऐसी सामग्री जिसका प्रावधान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

क्र.सं.	विवरण	निविदा का विवरण
1	कार्य का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा पात्र बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्ता पर्याप्त संख्या में (न्यूनतम 14) वयस्क और सक्षम मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा, जैसा कि मांग में निर्दिष्ट किया गया है।: (क) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, आरबीआई अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसरों, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों और बैंक द्वारा चिह्नित किसी भी परिसर में सिक्कों से भरे बैग और कार्य की विविध आकस्मिक वस्तुओं को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग और स्टैकिंग करना। (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, आरबीआई, अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसरों, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों और बैंक द्वारा चिह्नित किसी भी परिसर में भरे हुए नोट बक्सों और कार्य की विविध आकस्मिक वस्तुओं को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग, स्टैकिंग करना और अलग-अलग जगहों पर रखना।
2	अनुमानित लागत/व्यय	₹1,25,00,000 (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) यह राशि केवल सांकेतिक है और बैंक इस ज्ञापन में उल्लिखित अनुमानित लागत/व्यय के बराबर या उससे अधिक व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है।
3	भुगतान का तरीका	एनईएफटी/आरटीजीएस
4	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	₹2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना है: खाता नाम: Reserve Bank of India Ahmedabad खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जा सकता है ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5	अनुबंध अवधि	दो वर्ष (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक)
6	निष्पादन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा (अनुबंध अवार्ड किए गए ठेकेदार के लिए लागू)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/जमानत राशि प्रस्तुत की जाएगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
7	अनुबंध का विस्तार	अनुबंध को बैंक द्वारा अपने विकल्प पर मूल अनुबंध करार के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार उक्त अनुबंध करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

हमारे बैंकर हैं:

- i)
- ii)

फर्म के साझेदार या हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम

अथवा

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न होनी चाहिए)। इसे संलग्न नहीं करने पर बोली अस्वीकृत हो जाएगी।

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम:

पता: _____

तारीख:

2. हस्ताक्षर

नाम:

पता: _____

तारीख:

खंड II
बोलीदाताओं को निर्देश

A. सामान्य	
1. निविदा का दायरा	1.1 भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा पात्र बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्ता पर्याप्त संख्या में (न्यूनतम 14) वयस्क और सक्षम शरीर वाले मजदूरों की आपूर्ति करेगा, जैसा कि मांग में निर्दिष्ट किया गया है।: क) भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, आरबीआई अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसरों, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों और बैंक द्वारा चिह्नित किसी भी परिसर में सिक्कों से भरे बैग और कार्य की विविध आकस्मिक वस्तुओं को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग और स्टैकिंग करना। ख) भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, आरबीआई, अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करेंसी चेस्ट (सीसी) के परिसरों, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों और बैंक द्वारा चिह्नित किसी भी परिसर में भरे हुए नोट बक्सों और कार्य की विविध आकस्मिक वस्तुओं को लोड करना, उतारना, तौलना, कार्टिंग, स्टैकिंग करना और अलग-अलग जगहों पर रखना।
2. निषिद्ध प्रथाएं	2.1 बैंक के लिए आवश्यक है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, अनुबंध/कार्य की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक: (a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है: (i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, प्रदान करना, प्राप्त करना, या मांगना; (ii) "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है; (iii) "बलपूर्वक व्यवहार" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना; तथा (iv) "मिलीभगत व्यवहार" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है; (b) अवार्ड के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता प्रस्तावित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;

	(c) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।
3. पात्रता मानदंड	3.1. निविदाकर्ताओं को प्रतिष्ठित, अनुभवी, साधन संपन्न, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार (कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए: i. बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/अनुबंध के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रदान की गई सेवाओं की सूची प्रस्तुत की जाएंगी। ii. बोलीदाता ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा किया होना चाहिए: a. तीन समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं हो; या b. दो समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं हो; या c. एक समान पूर्ण सेवा की लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं हो। ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित व्यय का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा विधिवत समर्थित हो। iii. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य। निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। iv. ठेकेदार के पास सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस होना चाहिए जैसाकि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रावधान किया गया है। v. निविदाकर्ता के पास ड्यूटी के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होनी चाहिए। vi. अनुबंध को सफलतापूर्वक अवार्ड करने की स्थिति में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि होगा।

	vii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता रखेगा। बैंक का नाम और खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
4. निविदा दस्तावेज का संशोधन	4.1 निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से किसी भी समय पहले, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। जारी किया जाने वाला कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का हिस्सा होगा। 4.2 भावी निविदाकारों को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए बैंक अपने विवेक पर निविदा प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ा सकता है।
B. निविदाएं तैयार करना	
5. निविदा की लागत	5.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
6. निविदा में शामिल दस्तावेज	6.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: भाग I - कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें Section I: निविदा का प्रपत्र Section II: बोलीदाताओं को निर्देश Section III: अनुबंध के नियम और शर्तें Section IV: निविदाकर्ताओं द्वारा भरा जाने वाला विवरण Section V: जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची भाग II - मूल्य बोली
7. निविदा पत्र	7.1 निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर श्रेणी-III का उपयोग करके निविदा प्रस्तुत करेगा। सभी रिक्त स्थानों को मांगी गई जानकारी से भरा जाएगा।
8. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज	8.1 खंड-II (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने हेतु, निविदाकर्ता निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज/रिकॉर्ड/जानकारी प्रस्तुत करेगा।
9. निविदाओं की वैधता की अवधि	9.1 निविदा वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी। 9.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से अपनी निविदाओं की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।
10. निविदा के रूप में ईएमडी	10.1 निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करने की आवश्यकता होती है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

	10.2 भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद को एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा की जाएगी। एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी राशि को अंतरित करने के लिए खाता और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं: (i) लाभार्थी का नाम – भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद (ii) खाता संख्या - 186003001 (iii) आईएफएससी कोड - RBISOAHPA01 (5 वें और 10 वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जा सकता है)
(सी) निविदाएं जमा करना और खोलना	
11. निविदाओं को जमा करना, सील करना और चिह्नित करना	11.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-टेंडरिंग सबमिशन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। 11.2 निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली को निर्धारित प्रारूप (खंड IV) में सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, खंड V में दिए गए दस्तावेजों की सूची के अनुसार, और निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें)। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा अंतिम तिथि पर निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। 11.3 यदि वांछित/ निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निविदा के अस्वीकृत होने के लिए बैंक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।
12. निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि	12.1 निविदाएँ इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन ही भरी जाएँगी, तथा इन्हें इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि एवं समय से विलंबित प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। 12.2 बैंक, अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करते हुए, निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।
13. विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाएँ	13.1 नियत अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा को ई-पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. निविदा खोलना	14.1 बैंक निर्धारित तिथि को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा।
डी) निविदाओं का मूल्यांकन	
15. गोपिनियता	15.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी, अनुबंध प्रदान किए जाने की सूचना सभी निविदाकारों को संप्रेषित किए जाने तक, किसी भी निविदाकार या अन्य ऐसे व्यक्तियों को, जो इस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबद्ध नहीं हैं, प्रकट नहीं की जाएगी।"
16. निविदाओं के संबंध में स्पष्टीकरण	16.1 निविदाओं की जाँच, मूल्यांकन, तुलना तथा निविदाकारों की पात्रता निर्धारित करने में सहायता के लिए, बैंक अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी निविदाकार से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा उत्तर के लिए उचित समय प्रदान कर सकता है। बैंक के अनुरोध के प्रत्युत्तर में न दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण का अनुरोध तथा निविदाकार का उत्तर—दोनों—लिखित रूप में होंगे। बैंक द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान पाए गए अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि को छोड़कर, निविदा के मूल्यों अथवा उसकी सामग्री में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न तो माँगा जाएगा, न स्वीकार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।"

(ई) निविदा का मूल्यांकन एवं तुलना

17 निविदाकर्ता की अर्हता	17.1 बैंक यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकार खंड-II (अनुच्छेद-3) के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, और इस संबंध में वह स्वयं अपनी पात्रता से संतुष्ट होगा।
18. निविदा की संवीक्षा / मूल्यांकन	18.1 निविदाएँ दो भागों में होती हैं- भाग-I 'कार्य क्षेत्र एवं वाणिज्यिक शर्तें' तथा भाग-II 'मूल्य निविदा'। दोनों भाग ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएंगे। (i) भाग-I: निविदा 'कार्य क्षेत्र एवं वाणिज्यिक शर्तें', निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाएँ: a) ₹2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की ईएमडी (Earnest Money Deposit), जिसे NEFT के माध्यम से जमा किया जाएगा। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। b) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम से कंपनी/ फर्म की मुहर सहित पावर ऑफ अटॉर्नी / प्राधिकरण पत्र। c) निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण एवं अन्य दस्तावेज। d) एक ऐसा घोषणापत्र कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है तथा कंपनी/ व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। e) मूल्य विवरण अनुसूची के अनुसार सभी घटकों का उल्लेख करते हुए आच्छादित सांकेतिक मूल्य बोली (Masked Indicative Price Bid), जिसमें कोई भी मूल्य अंकित नहीं किया जाएगा। f) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्य कोई भी जानकारी। (ii) भाग-II 'मूल्य निविदा (Price Bid)' को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मूल्य केवल भारतीय रुपये में दर्शाए जाएँगे तथा इन मूल्यों का विस्तृत विवरण (संख्या और शब्द-दोनों में) भाग-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार दिया जाएगा। भाग-II में किसी अन्य प्रकार का कोई संलग्नक स्वीकार्य नहीं होगा। भाग-II में यदि किसी प्रकार की शर्तों में परिवर्तन या विचलन पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे निरस्त एवं अमान्य माना जाएगा। उद्धृत करें अंतिम मानी जाएँगी और पूर्ण कार्य के लिए होंगी, जिनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि/ मूल्यवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। (iii) निविदाएँ खोले जाने के बाद प्रारंभ में यह जांच की जाएगी कि वे पूर्ण हैं तथा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जो निविदाएँ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, उन्हें अनुत्तरदायी मानकर अनदेखा किया जाएगा।" (iii) मूल्य निविदा (भाग II) केवल उन निविदाकारों की खोली जाएगी, जिनकी भाग-I वाली निविदाएँ जांच के उपरांत पात्र पाई जाएँगी। (iv) बैंक उस निविदाकार/ उन निविदाकारों को अनुबंध प्रदान करेगा, जिनकी निविदा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुपालक पाई जाएगी तथा जिनका उद्धृत मूल्य, अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित लागत की तुलना में उचित होगा और जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम (एल-1) बोली निर्धारित होगी। (v) निविदाओं का मूल्यांकन उन्हीं नियमों एवं शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जो पहले से निविदा दस्तावेज में सम्मिलित हैं और जिनके आधार पर निविदाएँ आमंत्रित

	एवं प्राप्त की गई हैं। निविदाओं की जांच एवं मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त शामिल नहीं की जाएगी। (vi) कार्य की प्रकृति की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह न्यूनतम बोली (एल-1) अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार न करे। बैंक किसी भी चरण पर, संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (vii) यदि न्यूनतम (एल-1) बोली एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान रूप से उद्धृत की जाती है, तो समस्त कार्य को एल-1 निविदाकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जा सकता है, उदाहरणार्थ (50:50), (33.3:33.3:33.3) आदि।
19. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार	19.1 बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, सशर्त बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।
(एफ़) अनुबंध प्रदान करना	
20. अनुबंध की अवधि	20.1 प्रदान किया गया अनुबंध दो वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक वैध होगा, जिसे अनुबंध के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/ बिना एक वर्ष की और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जो संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है। 20.2 बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता एक सप्ताह के भीतर अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार खंड-III में निर्दिष्ट और दरों की अनुसूची, जो अंत में आई है, पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

ए) सामान्य शर्तें

- बैंक, निविदा दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- उद्धृत दरों के अंकों एवं शब्दों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर होने पर, मूल्यांकन हेतु शब्दों में लिखी गई दर को मान्य माना जाएगा।
- निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिये गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करे। निविदा दस्तावेज़ में अपेक्षित किसी भी जानकारी अथवा दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

बी) निविदाओं के अयोग्य/अस्वीकृत किए जाने की परिस्थितियाँ

- निविदाकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी, सिफारिश या राजनीतिक अथवा बाहरी प्रभाव का उपयोग, चयन प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण बनेगा। ऐसे निविदाकारों को आगामी तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे मामले चयन प्रक्रिया के दौरान नज़र से बच जाएँ, किंतु बाद में ज्ञात हों, तो ऐसी अयोग्यता पिछली तिथि से लागू मानी जाएगी।
- सभी निविदाएँ पूर्ण होनी चाहिए और सभी संलग्नक/ परिशिष्ट/ अनुलग्न शामिल होने चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, निर्दिष्ट प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त निविदाएँ, या उचित दस्तावेज़ी प्रमाण के बिना प्रस्तुत निविदाएँ—बैंक द्वारा तत्काल एवं पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

- (iii) एमएसटीसी पोर्टल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी और तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएँगी। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) निर्धारित ईएमडी/ प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या कम राशि के साथ प्राप्त निविदाएँ तत्काल अस्वीकृत की जाएँगी।
- (v) नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएँ तुरंत अस्वीकृत की जाएँगी।
- (vi) शर्तों से युक्त निविदाएँ सीधे अस्वीकृत की जाएँगी, और कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (vii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। निविदाकार द्वारा निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व निविदा वापस लेने पर, उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- (viii) वैकल्पिक प्रस्ताव/ कार्य पूर्ण करने के वैकल्पिक समय-सारिणी की अनुमति नहीं होगी।

सी) अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में देरी ऐसी परिस्थितियों के कारण होती है, जो उसके उचित नियंत्रण से बाहर की हैं (जिसमें, बिना किसी सीमा के, सरकारी कार्यवाही, प्राकृतिक आपदाएँ, सामाजिक विपदाएँ, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित या अघोषित) शामिल हैं), तो ऐसी देरी के लिए वह पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, यदि किसी विलंबित पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा हुई देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर नहीं है, तो ऐसी देरी उस पक्ष को उसकी देरी की उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

डी) अस्वीकरण

i) हालांकि, इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट हों कि दस्तावेज़ सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है।

ii) बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित करने, परिशोधित करने या पूरक दस्तावेज़ जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

iii) यद्यपि इस दस्तावेज़ को पूरी निष्ठा के साथ तैयार किया गया है, तथापि न तो बैंक और न ही उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी विवरण या चूक, अथवा दी गई जानकारी की शुद्धता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिनिवेदन या वारंटी देते हैं, और न ही इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत बैंक या उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार किसी भी प्रकार के दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, भले ही उनके किसी कृत्य या उपेक्षा के कारण किसी प्रकार की हानि या नुकसान क्यों न हुआ हो।

ई) गोपनीयता कथन

i) इस निविदा दस्तावेज़ में निहित जानकारी अथवा बैंक द्वारा या बैंक की ओर से या उसके किसी कर्मचारी द्वारा निविदाकर्ता(ओं) को मौखिक या लिखित रूप में बाद में प्रदान की गई कोई भी जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में वर्णित नियम एवं शर्तों तथा उन सभी अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिनके अंतर्गत ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

ii) इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनकी प्रस्तावना (प्रपोज़ल) तैयार करने में सहायता हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।

iii) यह निविदा दस्तावेज़ प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करता है।

iv) यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक तथा/ या उसके कर्मचारी प्रत्येक बोलीदाता, जो इस निविदा दस्तावेज़ को पढ़ता है या इसका उपयोग करता है, के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति या विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।

v) प्रत्येक निविदाकर्ता को चाहिए कि वह अपनी स्वयं की जाँच-पड़ताल और विश्लेषण करे तथा इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की पुष्टि करे, और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करे।

vi) बैंक और उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रतिनिवेदन या वारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत इस निविदा दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई देयता स्वीकार करेंगे।

vii) यह दस्तावेज़ तथा इसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकर्ता(यों) के उपयोग हेतु अभिप्रेत है।

खंड-III

अनुबंध की नियम एवं शर्तें

कार्य का दायरा (Scope of Work):

निविदाकार को बैंक द्वारा की गई मांग के अनुसार पर्याप्त संख्या में (न्यूनतम 14) वयस्क एवं सक्षम श्रमिक/ मज़दूर उपलब्ध कराने होंगे, जो निम्नलिखित कार्यों के लिए नियुक्त किए जाएंगे:

(ए) सिक्कों से भरी बोरियों की लोडिंग, अनलोडिंग, वजन करना, उनकी ढुलाई, स्टैकिंग, तथा आरबीआई, अहमदाबाद के परिसर, इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले करेंसी चेस्ट, रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट अथवा बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर संबंधित सहायक एवं आकस्मिक कार्यों का निष्पादन।

(बी) पूर्ण नोटों के बक्सों की लोडिंग, अनलोडिंग, वजन करना, उनकी ढुलाई, स्टैकिंग, फैलाना, तथा आरबीआई, अहमदाबाद, इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले करेंसी चेस्ट्स, रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट या बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी परिसर में संबंधित सहायक एवं आकस्मिक कार्यों का निष्पादन।

प्रारंभ / नवीनीकरण :

(i) बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार/निविदाकारों को अनुबंध को क्रियान्वित करने एवं लागू करने के लिए बाध्य रहना होगा। सफल निविदाकार/निविदाकारों को निविदा दस्तावेज़ की शर्तों एवं दर अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

(ii) यदि सफल निविदाकार/निविदाकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता/करते हैं, या अनुबंध के निष्पादन से मना करता/ करते हैं, या किसी भी प्रकार से सेवा में व्यवधान उत्पन्न करता/करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास उपलब्ध ईएमडी/ पीबीजी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसे निविदाकारों को भविष्य की सभी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(iii) अनुबंध की अवधि दो वर्ष होगी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक बैंक, प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर, अपनी विवेकानुसार इसे एक वर्ष अतिरिक्त अवधि हेतु यथावत शर्तों के साथ अथवा शर्तों में परिवर्तन सहित बढ़ा सकता है।

(iv) जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने के निकट होगी, तब बैंक द्वारा अनुबंध के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान अनुबंध समाप्त होने से तीन माह पूर्व, अनुबंधकर्ता को बैंक को लिखित सूचना देनी होगी कि क्या वह वर्तमान शर्तों एवं दर अनुसूची के आधार पर अनुबंध को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत करने हेतु इच्छुक है।

बयाना जमाराशि:

सभी बोलीदाताओं से अग्रिम में निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत ईएमडी एकत्र किया जाएगा।

निष्पादन बैंक गारंटी/ जमानत की राशि

निष्पादन बैंक गारंटी / जमानत की राशि, जिसकी राशि अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर होगी, ठेकेदार द्वारा कायदेशि जारी होने के 10 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। यह गारंटी अनुबंध अवधि की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए मान्य रहेगी तथा ठेकेदार द्वारा अनुबंधीय दायित्वों के उचित निर्वहन हेतु आवश्यक है।

निष्पादन बैंक गारंटी / जमानत की राशि का प्रस्तुतिकरण निविदा में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में इसके प्रस्तुतिकरण में विलंब होता है, तो विलंब अवधि हेतु बैंक दर के अनुसार शुल्क ठेकेदार के बिलों से वसूल किए जाएंगे। **जमानत की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

ठेकेदार के कर्तव्य:

अनुबंध की संपूर्ण वैधता अवधि तक उसे सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार आवंटित कार्य को पूरा करने में विफल रहता/रहती है, तो उसकी निष्पादन बैंक गारंटी / जमानत की राशि जब्त कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अपने किसी भी प्रकार के लापरवाहीपूर्ण कार्य से बैंक को होने वाली किसी भी हानि से बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(i) संविदा अवधि के दौरान, ठेकेदार को भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक-प्रभारी या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राप्त लिखित सूचना के 12 घंटे के भीतर, सिक्कों की बोरियों तथा नोट बक्सों के प्रबंधन हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम एवं तंदुरुस्त मजदूर/ श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में आवश्यकतानुसार सूचित की गई अन्य विविध सहायक गतिविधियों के लिए भी श्रमिक उपलब्ध कराए जाने होंगे।

(ii) तात्कालिक अथवा आपात स्थितियों में, ठेकेदार को बैंक द्वारा तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर/ श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। किसी भी अवसर/ स्थिति को तात्कालिक मानने का निर्णय पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार में होगा, तथा बैंक द्वारा इस संबंध में सूचना देकर उसे तात्कालिक घोषित करना पर्याप्त होगा। ठेकेदार को ऐसी सूचना का पालन करना अनिवार्य होगा। सिक्कों की बोरियों और नोट बक्सों का लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य एक सुरक्षित एवं बंद परिसर अर्थात् "सेफ्टी-यार्ड" में ही किया जाएगा।

(iii) इस प्रकार दी गई सूचना का पालन ठेकेदार द्वारा तब भी करना आवश्यक होगा, जब इसके लिए सामान्य कार्य समय से अधिक काम करना पड़े, अथवा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अंतर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाशों, जिसमें शनिवार एवं रविवार भी शामिल हैं, या इस संबंध में लागू किसी अन्य वर्तमान अधिनियम/ प्रावधान के दिन में कार्य करना पड़े।

(iv) ठेकेदार इस अनुबंध को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अनुबंध के किसी भी भाग को उप-संविदा पर नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है तथा ठेकेदार की पीबीजी/ सुरक्षा जमा जब्त कर सकता है।

(v) ठेकेदार बैंक को उस किसी भी हानि या क्षति की भरपाई करेगा जो ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त संख्या में मजदूर/ श्रमिक तैनात करने, या मजदूरों/ श्रमिकों की अक्षमता, लापरवाही, दोषपूर्ण कार्य, या सिक्कों की बोरियों/ नोट बक्सों के तौल, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, ढुलाई, पैकिंग, अन-पैकिंग, वहन या वितरण में देरी अथवा त्रुटि के कारण हुई हो। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी मजदूर/ श्रमिक या कर्मियों के किसी भी बेईमानीपूर्ण या धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के कारण होने वाली हानि अथवा क्षति की भी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

(vi) बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे मजदूर/ श्रमिक/ कर्मियों को हटाने का निर्देश दे जो उपर्युक्त कार्यों को करने में अक्षम अथवा लापरवाह पाया जाए। बैंक को यह अधिकार भी होगा कि वह ठेकेदार को ऐसे मजदूरों/ श्रमिकों/ कर्मियों को हटाने का निर्देश दे जो बैंक में उपर्युक्त कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की बेईमानी या धोखाधड़ी की गतिविधि में संलग्न पाए जाएं। बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर ठेकेदार तुरंत ही ऐसे मजदूरों/श्रमिकों की सेवाएँ लेना बंद करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक ₹1000/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दंड लगा सकता है। निरंतर अनुपालन न होने या बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है तथा पीबीजी/ सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है।

(vii) ठेकेदार को अनुबंध से संबंधित कार्यों में संलग्न मजदूरों द्वारा संभावित रूप से होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा करवाना अनिवार्य होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बीमा इस अनुबंध की संपूर्ण अवधि के दौरान निरंतर प्रभावी रहे। निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक-प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे ठेकेदार से बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने का निर्देश दें और यह सत्यापित, परीक्षण या निरीक्षण करें कि ठेकेदार द्वारा लिया गया बीमा-कवर पर्याप्त है या नहीं। यदि महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक-प्रभारी यह निर्धारित करते हैं कि बीमा-कवर की राशि अपर्याप्त है या सभी संबंधित जोखिमों को कवर नहीं करती जो मजदूरों/श्रमिकों/ कर्मियों को इस कार्य के दौरान सामना करना पड़ सकता है, तो ठेकेदार को आवश्यक अतिरिक्त राशि तथा अनावृत जोखिमों के लिए अतिरिक्त बीमा-कवर लेना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में बैंक स्वयं अतिरिक्त बीमा-कवर खरीद सकता है, और इस हेतु किए गए व्यय की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।

(viii) बैंक द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने संबंधी पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद, ठेकेदार को मजदूरों/ श्रमिकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों/ अधिकारियों की नामावली बैंक को प्रस्तुत करनी होगी, जो इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन से जुड़े होंगे। ठेकेदार को उपर्युक्त सभी व्यक्तियों के फ़ोटो, वर्तमान एवं स्थायी पते, तथा चरित्र प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। उपर्युक्त सभी मजदूरों/ श्रमिकों, सहायकों, पर्यवेक्षकों अथवा अन्य कर्मचारियों/ अधिकारियों के चरित्र एवं पृष्ठभूमि का पुलिस विभाग से सत्यापन करवाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, और यह कार्य अनुबंध प्रारंभ होने से पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि सभी कार्य/ गतिविधियाँ उचित, सावधानीपूर्वक, त्वरित एवं कुशल तरीके से किए जाएँ। समस्त कार्य इस प्रकार किए जाने चाहिए कि नोट बक्सों एवं सिक्कों की बोरियों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे।

(x) इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादित करने हेतु संलग्न संविदा शामिकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण पूर्णतः ठेकेदार के दायरे में होगा। संविदा श्रमिकों की उपस्थिति/ अनुपस्थिति दर्ज करने हेतु अभिलेख/ मस्टर का संधारण तथा उसका नियंत्रण ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा अभिलेख सदैव ठेकेदार के नियंत्रण में रहेगा।

(xi) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के तहत कार्यरत मजदूर/ श्रमिक शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के अभ्यस्त न हों। बैंक परिसर में धूम्रपान, शराब का सेवन, तंबाकू या पान मसाला चबाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(xii) ठेकेदार को अनुबंध की संपूर्ण अवधि के दौरान संविदा श्रमिकों में अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अवकाश या अनुपस्थिति से संबंधित सभी मामलों का संचालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को सभी मजदूरों/ श्रमिकों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य होगा, जो इस अनुबंध के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में संलग्न होंगे।

भुगतान एवं कर :

भुगतान मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाएगा। भुगतान करते समय, आयकर (TDS-IT), TDS-CGST, TDS-SGST, TDS-IGST तथा अन्य लागू करों की कटौती, केंद्र/ राज्य सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों/ विधियों के अनुसार निर्धारित दरों पर की जाएगी।

(i) ठेकेदार को इस अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा। ये दरें स्थिर होंगी और संपूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी आधार पर बढ़ाई नहीं जा सकेंगी। ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं कर सकेगा।

(ii) उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार के कर, शुल्क, स्थानीय लेवी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, जीएसटी अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू किसी भी अन्य कर को वर्तमान दरों पर सम्मिलित माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा में इन करों/ शुल्कों को सम्मिलित करने में असफल रहता है, तो बाद में बैंक किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) बैंक भुगतान के बाद किए गए पोस्ट-पेमेंट ऑडिट, तकनीकी परीक्षण या किसी अन्य माध्यम से यदि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान पाया जाता है, तो उसकी वसूली करने/ वसूली लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशि, ठेकेदार द्वारा जमा की गई पीबीजी से अथवा बैंक को देय या भविष्य में देय होने वाली अन्य भुगतानों से काटी जा सकेगी।

(v) किसी देयता के उत्पन्न होने या न होने से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता/ अनुबंध समाप्ति / दंड

(i) यदि कोई निविदाकर्ता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बैंक के निर्णय, जिसमें जाँच-पड़ताल, तुलना, मूल्यांकन तथा अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया शामिल है, को प्रभावित करने हेतु किसी प्रकार की पैरवी, राजनीतिक हस्तक्षेप या बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर दुराचरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित निविदा अस्वीकार किए जाने के साथ-साथ, निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक आरबीआई की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से डीलिट किया जा सकता है। यदि ऐसे मामले चयन प्रक्रिया के दौरान अनदेखे रह जाँएँ और बाद में पता चलें, तो भी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(ii) अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि दूसरे पक्ष को तीन महीने पूर्व लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्ति की जानकारी दी जाए।

(iii) यदि ठेकेदार दिवालिया, दिवालियापन-ग्रस्त घोषित होता है, परिसमापन की प्रक्रिया से गुजरता है, या वह तकनीकी अथवा वित्तीय क्षमता में ऐसी महत्वपूर्ण कमी झेलता है, जिसके आधार पर मूल रूप से अनुबंध प्रदान किया गया था, तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। ऐसी समाप्ति लिखित सूचना देकर लागू की जाएगी, और इसके लिए ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं कर सकेगा। यह समाप्ति, अनुबंध की शर्तों एवं विधि के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध किसी भी अधिकार या रेमेडी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) यदि बैंक द्वारा मजदूरों/ श्रमिकों की आपूर्ति हेतु जारी किसी अधिसूचना का पालन करने में ठेकेदार द्वारा तीन घंटे से अधिक की देरी होती है, अथवा अनुबंध की किसी भी निर्देशिका का उल्लंघन होता है, जिसे निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी द्वारा दंडनीय माना जाता है, तो वे ठेकेदार पर अधिकतम ₹5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) तक का दंड लगा सकते हैं।

(v) यदि ठेकेदार पर अनुबंध अवधि के दौरान लगाए गए संचयी (cumulative) दंड की राशि कुल अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत तक पहुँच जाती है, तो प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के बाद अनुबंध विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) बार-बार या लगातार देरी होने की स्थिति में, अथवा यदि ठेकेदार इस अनुबंध की किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो बैंक अनुबंध को तत्काल प्रभाव से लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है—चाहे ऐसे विलंब या उल्लंघन के लिए पहले से कोई दंड लगाया गया हो या नहीं।

(vii) अनुबंध का जारी रहना मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी समय ठेकेदार का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक तीन महीने पूर्व लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

(viii) यदि ठेकेदार तीन से अधिक अवसरों पर सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता/रहती है, तो बैंक किसी भी कारण से सूचना देकर या बिना सूचना दिए, अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे या दावा करने का अधिकार नहीं रखता।

क़ानूनों का अनुपालन

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक क़ानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के क़ानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i) बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात्, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर टैक्सी पैन/ईपीएफआई/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए;

ii) ठेकेदार अन्य सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अपने तैनात कर्मचारियों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।

iii) कामगार/श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों/श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत बीमा, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, ठेकेदार कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे क़ानून के तहत बीमा का कवरेज प्रदान करता है। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए पीएफ योगदान करने के लिए एक वैध पीएफ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के संबंध में गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से काट लिया जाएगा।

iv) ठेकेदार से अपेक्षित होगा कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 21 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रावधान के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, अहमदाबाद के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करे और उपरोक्त अधिनियम या किसी अन्य लागू क़ानून, नियमों, आदेशों, सरकारी संकल्प आदि की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करें जो प्रभावी हों या बाद में एक उपयुक्त

प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रख्यापित या अन्यथा लागू किए जा सकते हैं। यदि लाइसेंस लागू नहीं है, तो ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण देते हुए एक हलफनामा देना होगा। इसके अलावा, ठेकेदार निर्दिष्ट कर्तव्यों के लिए लगे मजदूरों के बार-बार रोटेशन को सुनिश्चित करेगा।

v) ठेकेदार को प्रचलित क़ानून के अनुसार सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को अद्यतन रखना होगा और मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष पेश करना होगा।

vi) ठेकेदार बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।

vii) मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार मासिक आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए लगाए गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के साथ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते को क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान का संकेत देने वाले बैंक विवरण जमा किए जा सकते हैं।

viii) प्रधान नियोक्ता अर्थात बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों को उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है/कहा जाता है, तो लागू किसी भी कानून के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से कमी या चूक की स्थिति में, इस राशि को बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा जो ठेकेदार द्वारा बैंक को देय होगा।

ix) ठेकेदार किसी भी मजदूर या अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में इस अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

x) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

xi) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसका उस उस मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा सिद्ध हो जाती है।

xii) ठेकेदार को काम शुरू होने से पहले अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा, और काम पूरा होने तक वैध लाइसेंस जारी रखें। ठेकेदार को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के उपबंधों का भी पालन करना होगा। संविदाकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 या उसके संशोधनों और/या इस संबंध में समय-समय पर लागू किए गए किसी अन्य संगत कानूनों/ अधिनियमों/ संविधि/ नियमों/ विनियमों/ संहिताओं के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण/प्रथाओं आदि, किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, और हर समय इसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अपने दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक को छोड़कर अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या इसे प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा।

उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या इसे समाप्त करने तक बने रहेंगे।

कर्मचारी सुरक्षा और बीमा

ठेकेदार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो परिचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।

ठेकेदार बैंक द्वारा अनुमोदित नियम व शर्तों पर अपनी लागत पर जोखिमों और अनुबंध में यथाविनिर्दिष्ट कवरेज के लिए बीमा कराएगा। ठेकेदार निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

- (a) पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए ठेकेदार की पूर्ण जोखिम (सीएआर) नीति।
- (b) साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
- (c) कुल 10.00 लाख रुपये और प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा के साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी।

ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उद्धृत करें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी जहां सेवा दी जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।

ठेकेदार अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हों और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी व्यक्ति (मैनपॉवर) के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति (मैनपॉवर) अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता

a) यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

b) यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

c) यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा।

d) सभी विवादों और करार के तहत किसी भी प्रकार के मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को भेजा जाएगा और उसका निर्णय, लिखित रूप में, सेवा प्रदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी

होगा। तथापि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल अहमदाबाद होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने अनुबंध के उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसे स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता _____

मुहर

गवाह :	
गवाह-1	गवाह-1
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता _____	पता _____

खंड IV

निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु विवरण (विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित किया गया तथा एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।)

ए. निविदाकर्ता का ब्यौरा

क्रम	विवरण	ब्यौरा
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	पता (कृपया पते का प्रमाण संलग्न करें, जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल आदि) i) पंजीकृत पता ii) अहमदाबाद में स्थानीय पता	
3	टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) i) पंजीकृत पते का ii) अहमदाबाद में स्थानीय पते का	
4	मोबाइल नंबर i) पंजीकृत पते का ii) अहमदाबाद में स्थानीय पते का	
5	फैक्स नंबर i) पंजीकृत पते का ii) अहमदाबाद में स्थानीय पते का	
6	ईमेल पता	
7	आयकर पैन (प्रमाणित/अभिप्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करें)	
8	टीएएन (प्रमाणित/अभिप्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करें)	
9	जीएसटी पंजीकरण संख्या	
10	निविदाकर्ता की संरचना (दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें, जैसे कि ज्ञापन / संघ के उपनियम, भागीदारी विलेख आदि)।	
11	स्वामी / भागीदारों / निदेशकों के नाम (समर्थन हेतु दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें, जैसे कि मेमोरेण्डम / संघ के उपविधि, पार्टनरशिप डीड आदि तथा पैन नंबर)	
12	श्रम अनुबंध लाइसेंस संख्या, जो अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत जारी की गई हो (लाइसेंस की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी है)।	
13	निविदाकर्ता का वर्तमान खाता संख्या, जो किसी बैंक में संचालित है, तथा उसके खोले जाने की तिथि	
14	उपरोक्त चालू खाता जिस बैंक एवं शाखा में संधारित है, उसका नाम और पता	

	(इसके समर्थन में बैंक से प्रमाणपत्र या निरस्त चेक की प्रति प्रस्तुत करें)।	
15	नियमित रोजगार में रखे गए श्रमिकों/मज़दूरों की संख्या	
16	एक समय में निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
17	पूर्व तथा वर्तमान अनुबंधों का विवरण। कृपया इसके समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करें, जैसे कि स्वयं-प्रमाणित अनुबंध प्रतियाँ, कार्यदिश पत्र, समझौते, पूर्व उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र आदि।	

बी. निविदाकर्ता द्वारा जिन संस्थानों के साथ समान प्रकार के अनुबंध किए गए हैं, उनका विवरण (इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़/प्रमाणपत्र संलग्न किए जा सकते हैं)।

क्रम	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का टेलीफ़ोन नंबर	संविदा की समयावधि	संविदा का मूल्य

सी. बयाना जमाराशि का ब्यौरा

i	एनईएफ़टी ब्यौरा	
ii	राशि (अंकों में और शब्दों में)	
iii	बैंक का नाम	
iv	शाखा का नाम	
v	शाखा का पता	
vi	शाखा का टेलीफ़ोन नंबर	
vii	मोबाइल नंबर	
viii	ईमेल पता	

डी. क्या निविदाकर्ता को कभी आरबीआई या राज्य/केंद्र सरकार के किसी विभाग द्वारा डिलिस्ट किया गया है?

- हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशक/निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया हो या डिलिस्ट किया गया हो अथवा किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वे आवेदन न करें।)

ई. क्या फर्म या उसके किसी निदेशक/निदेशकों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है?

- हाँ/नहीं

यदि हां, तो विवरण दें (विवरण हेतु एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)।

एफ़. क्या अनुबंध की शर्तें एवं नियम निविदादाता को स्वीकार्य हैं? – हां/नहीं

यदि हां, तो इस निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग-III में दिए गए अनुबंध की शर्तों एवं नियमों की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित करके, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

घोषणा

- a) मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि बाद में इनमें से कोई भी जानकारी गलत/असत्य सिद्ध होती है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उचित समझी जाने वाली कोई भी दंडात्मक कार्यवाही कर सके।
- b) मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी किसी भी चरण पर गलत/असत्य पाई जाती है, तो हमारी निविदा निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

स्थान :

तिथि :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

पता :

खंड - V

तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- i. निविदादाता की संरचना अथवा कानूनी स्थिति, पंजीकरण का स्थान तथा मुख्य व्यवसाय स्थल को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की प्रतियां; निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निविदादाता की ओर से प्रतिबद्ध करने हेतु लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसायिक लाइसेंस/पंजीकरण:
 - a) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - b) पैन
 - c) ईपीएफ़, ईएसआई, श्रमिक लाइसेन्स की प्रतियाँ
 - d) निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस की प्रति, अथवा उस राज्य द्वारा अधिसूचित समान अधिनियम/नियमों के अंतर्गत जारी लाइसेंस की प्रति, जहाँ सेवा प्रदान की जानी है (सुरक्षा सेवा के मामले में)।
- ii. पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निष्पादित/प्रदान की गई सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य
- iii. पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए समान प्रकृति एवं समान स्तर/आकार की सेवाओं से संबंधित कायदेशिों (वर्क ऑर्डर) की प्रतियां तथा उन सेवाओं का अनुभव विवरण; साथ ही वर्तमान में प्रचलित या अनुबंधित रूप से प्रतिबद्ध सेवाओं का विवरण। इसके अतिरिक्त, संबंधित अनुबंधों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क किए जा सकने वाले ग्राहकों के नाम और पते।
- iv. इस अनुबंध के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की उपलब्धता का प्रमाण (ऋण सुविधा/क्रेडिट लाइन(ओं) तक पहुँच तथा अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।
- v. पिछले तीन वर्षों की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ (संबंधित अवधि के लिए लाभ एवं हानि (P/L) विवरणों की प्रतियां तथा बैलेंस शीट सहित)।
- vi. बैंक खाता ब्यौरा
- vii. निविदादाता के बैंकरों से संदर्भ (रेफरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रदान की गई प्राधिकृति/अनुमति।
- viii. निविदादाता से संबंधित किसी भी कानूनी वाद/मुकदमे की जानकारी, चाहे वह वर्तमान में लंबित हो या पिछले पाँच वर्षों के दौरान रहा हो, जिसमें संबंधित पक्षकारों के नाम तथा विवादित राशि का विवरण शामिल हो।
- ix. सेवाओं के किसी भी घटक को उप-अनुबंध (सब-कॉन्ट्रैक्टिंग) पर देने संबंधी प्रस्ताव (यदि कोई हों), जिनकी राशि अनुबंध मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक हो।
- x. अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत, जैसा कि अनुभाग-II (3) (iv) में उल्लिखित है, भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी श्रम लाइसेंस की प्रति।
- xi. यह घोषित करने वाला उपक्रम कि निविदादाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता (Willful Defaulter) नहीं है तथा कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जैसा कि अनुभाग-II (18) (i) (d) में उल्लेखित है।
- xii. अनुभाग-IV में मांगे गए अनुसार दस्तावेज।
- xiii. अनुबंध की शर्तों एवं नियमों (अनुभाग-III में निहित) की निविदादाता द्वारा स्वीकृति, जिसके प्रमाणस्वरूप निविदादाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति प्रस्तुत की जाए।
- xiv. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), अहमदाबाद को एनईएफटी/आरटीजीएस (NEFT/RTGS) के माध्यम से जमा की गई जमानत राशि (Earnest Money Deposit) से संबंधित सलाह/प्रमाण की प्रति।

xv. पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अथवा किसी भी राज्य/केंद्र सरकार के विभाग द्वारा निविदादाता को सूची से हटाया गया (डीलिस्टेड) है या नहीं, इस संबंध में स्वयं-घोषणा।

xvi. श्रमिकों के वैध पुलिस सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) प्रतिवेदनों की प्रतियां।

xvii. अनुभाग-III में उल्लेखित अनुसार बीमा पॉलिसियों की प्रतियां।

नोट: उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ निविदादाता द्वारा ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोली प्रस्तुत करते समय तकनीकी बोली के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत/अपलोड किए जाने चाहिए। उपर्युक्त में से किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर निविदा को भाग-I में अयोग्य (डिस्कालिफाइड) माना जाएगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद

RBI/Ahmedabad Regional Office/Issue/3/25-26/885

सिक्कों की थैलियों एवं नोट पेटियों के संचालन (हैंडलिंग) हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए ई
-निविदा

भाग II
(कीमत बोली)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

प्रस्तुति की अंतिम तिथि : **06 मार्च 2026 को 10:00 बजे तक**

भाग II
(मूल्य बोली)

क्रम	कार्य का प्रकार	इकाई	दर (₹ में) (अंकों और शब्दों दोनों में)	भारांक (100%)
1.	नोट बक्सों की हैंडलिंग (प्रबंधन)*- नोट बक्सों की हैंडलिंग के लिए समेकित दर – नोट बक्सों के लिए दर –	प्रति बक्सा	केवल	60%
2.	सिक्कों की थैलियों (काँइन बैग्स) की हैंडलिंग*- सिक्कों की थैलियों की हैंडलिंग के लिए समेकित दर – सिक्कों की थैलियों के लिए दर –	प्रति बैग	MSTC	20%
3.	आरबीआई परिसर के भीतर तिजोरी (वॉल्ट) में या एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी तक भरे हुए बक्सों को ले जाने एवं पुनः स्टैकिंग (दोबारा व्यवस्थित करने) के अतिरिक्त कार्य हेतु समेकित श्रम/मज़दूरी शुल्क नोट बक्सों के लिए दर –	प्रति बक्सा	पोर्टल पर भरना है।	10%
4.	आरबीआई परिसर के भीतर तिजोरी (वॉल्ट) में या एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी तक सिक्कों की थैलियों को ले जाने एवं पुनः स्टैकिंग (दोबारा व्यवस्थित करने) के अतिरिक्त कार्य हेतु समेकित श्रम/मज़दूरी शुल्क सिक्कों की थैलियों के लिए दर –	प्रति बैग		10%

*नोट बक्सों/सिक्कों की थैलियों की हैंडलिंग में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- i) रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अहमदाबाद परिसर, RBI अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा कोषों (CCs) अथवा बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नोट बक्सों/सिक्कों की थैलियों को ट्रक/कंटेनरों में लोड करना।
- ii) रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों पर रेलवे वैगन/कंटेनर से, RBI अहमदाबाद परिसर में, RBI अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा कोषों (CCs) में अथवा बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नोट बक्सों/सिक्कों की थैलियों को अनलोड करना।
- iii) RBI अहमदाबाद परिसर में अथवा RBI द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नोट बक्सों/सिक्कों की थैलियों की व्यवस्था करना, उनका वजन करना एवं स्टैकिंग (संग्रहण) करना।

उपरोक्त मदों के लिए निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों को दी गई तालिका के अनुसार भारांकित किया जाएगा तथा भारांकित दरों को जोड़कर समेकित दर (Composite Rate) निर्धारित की जाएगी। निविदादाताओं की समेकित दरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर न्यूनतम (L1) दर वाले निविदादाता का निर्धारण किया जाएगा।

कीमत बोली से संबंधित टिप्पणियाँ: -

- (i) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य/गतिविधियों के स्थलों, अर्थात् बैंक परिसर का भ्रमण कर लें और स्थल की परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हो जाएं। निविदादाता/निविदादाताओं को कार्य की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी तथा कार्य की किसी भी आंशिक मद के लिए पृथक रूप से अनुबंध नहीं किया जाएगा।
- (ii) बक्सों की स्टैकिंग (एक के ऊपर एक रखने की व्यवस्था) की ऊँचाई अधिकतम 8-9 फीट तक हो सकती है।
- (iii) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का सत्यापन किए जाने के पश्चात, भुगतान मासिक अंतराल पर किया जाएगा।
- (iv) दरें सभी प्रकार के करों सहित होंगी, किंतु जीएसटी (GST) से अलग/अलग रहेंगी (अर्थात् जीएसटी इसमें शामिल नहीं होगा)।
- (v) यहाँ उल्लिखित नहीं की गई तथा अनुबंध में सहमति प्राप्त नहीं हुई कार्य-मदों के लिए दरें, बैंक द्वारा ठेकेदार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी।

नोट: उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियाँ/मात्रा/कार्य-क्षेत्र केवल विगत अनुभव के आधार पर सांकेतिक हैं तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों में इनमें परिवर्तन हो सकता है। ऊपर उल्लेखित गतिविधियाँ/मात्रा/कार्य-क्षेत्र को भुगतान का आधार नहीं माना जाएगा। भुगतान केवल वास्तव में किए गए कार्यों के आधार पर ही किया जाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

सील

तिथि :

स्थान :

अनुलग्नक – A (दस्तावेजों का प्रारूप)

अनुसूची A – कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रारूप (जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
गांधी ब्रिज के निकट, उस्मानपुरा
अहमदाबाद-380014 (गुजरात)

महोदय,

कार्य का नाम – कार्यनिष्पादन जमानत राशि के लिए बैंक गारंटी

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा), ने शीर्षकित परियोजना के लिए अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) M/s _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसका अर्थ उसके उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करेगा) को प्रदान किया है।

और चूँकि उक्त ठेकेदार अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों का विधिवत पालन सुनिश्चित करने हेतु ₹ _____ (राशि शब्दों में) की कुल राशि की परफॉर्मेंस सुरक्षा आरबीआई को जमा करने के लिए बाध्य है।

हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), M/s _____, ठेकेदार, के अनुरोध पर, यह उपक्रम करते हैं कि अनुबंध की नियमों एवं शर्तों के विधिवत पालन के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹ _____ तक की राशि का भुगतान करेंगे।

अब यह गारंटी साक्ष्य प्रस्तुत करती है

1. हम ----- (बैंक का नाम) यह सहमति व्यक्त करते हैं और आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को यह उपक्रम देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है — और ऐसा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा — तो हम आरबीआई की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹ ----- (राशि शब्दों में: ----- मात्र) या आरबीआई द्वारा माँगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे।

हमारी यह गारंटी उक्त अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार की जिम्मेदारियों के विधिपूर्ण निर्वहन हेतु परफॉर्मेंस गारंटी राशि के समकक्ष मानी जाएगी; बशर्ते कि हमारी ऐसी देयता ₹ ----- (राशि शब्दों में: ----- मात्र) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी सहमति और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त ₹ ----- तक की राशि, आरबीआई की लिखित सूचना प्राप्त होने पर — जिसमें यह कहा गया हो कि यह राशि उन्हें देय है — केवल उनकी माँग पर, बिना किसी आपत्ति या विरोध के, हम द्वारा अदा की जाएगी, और हम किसी भी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की माँग नहीं करेंगे। आरबीआई द्वारा जारी की गई ऐसी सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी और किसी भी प्रकार से उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, बैंक आरबीआई द्वारा माँगी गई धनराशि का भुगतान करेगा, और इस गारंटी के अंतर्गत देयता पूर्णतः निश्चित और निर्विवाद होगी। हम यह उपक्रम करते हैं कि आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान, उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे।
3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारी देयता आरबीआई और ठेकेदार के बीच किए गए किसी भी अनुबंध, समझौते या अन्य व्यवस्थाओं से स्वतंत्र होगी।
4. यह गारंटी हमारी ओर से आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वापस नहीं ली जाएगी।

हम आगे यह सहमति व्यक्त करते हैं कि –

- a) आरबीआई द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में किसी भी प्रकार की रियायत या चूक, या अनुबंध में उल्लिखित किसी भी नियम एवं शर्त के अनुपालन में कोई ढील, अथवा ठेकेदार को समय-विस्तार देना या कोई सहूलियत प्रदान करना, या इससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में आरबीआई का कोई भी व्यवहार — किसी भी प्रकार से हमें इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता से मुक्त नहीं करेगा, और हमारी यह जिम्मेदारी यथावत बनी रहेगी।
- यह गारंटी केवल तभी समाप्त मानी जाएगी जब ठेकेदार अपनी सभी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन कर लेता है, और यदि वह इसमें विफल रहता है, तो हम द्वारा ₹ ----- (राशि शब्दों में: ----- मात्र) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान पर।
- b) हमारी इस गारंटी के अंतर्गत देयता ₹ ----- (राशि शब्दों में: ----- मात्र) से अधिक नहीं होगी।
- c) हमारे उक्त ग्राहकों/हितधारकों की किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता, या उनके दायित्वों में किसी भी कमी, अथवा उनके विघटन या संरचना में परिवर्तन के कारण इस अनुबंध के अंतर्गत हमारी देयता प्रभावित नहीं होगी।

- d) हमारी यह देयता, जैसा कि ऊपर प्रावधानित है, ----- को या उस तिथि को समाप्त हो जाएगी जिस दिन हमारे उक्त ग्राहकों द्वारा अपने दायित्वों का पालन कर दिया जाएगा — और इस संबंध में केवल आरबीआई द्वारा जारी किया गया लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा — इन दोनों में से जो तिथि बाद की होगी, वही मानी जाएगी। जब तक कि हमारे विरुद्ध ----- या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा, वाद या कार्यवाही दायर नहीं की जाती, तब तक इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार निरस्त माने जाएंगे, और हम अपनी सभी दायित्वों एवं देयताओं से मुक्त और विमुक्त हो जाएंगे।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, मैं/हम, बैंक के पक्ष से, इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा रहे हैं, इस ----- दिनांक ----- (महीना) (वर्ष) को, उचित रूप से अधिकृत होते हुए।

----- के लिए तथा उसकी ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और सुपुर्द, निम्न साक्षी की उपस्थिति में:

साक्षी 1

हस्ताक्षर नाम

पता

(NB: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा जहाँ यह निष्पादित की जाएगी, तथा इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसकी हस्ताक्षर एवं प्राधिकरण की पुष्टि आवश्यक होगी।).

अनुसूची बी

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है। signatory)

सेवा मे
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
अहमदाबाद।

काम का नाम:

मैं/हम _____ (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) F.No 6/18/2019- पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को एक ऐसे देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है।

1. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है, या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट)

2. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (____ बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है, मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-अनुबंध नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

3. मैं/हम यह जानते और समझते हैं कि यदि यह घोषणा/प्रमाण-पत्र/सर्टिफिकेट जो हमने प्रस्तुत किया है, झूठा पाया जाता है, तो बैंक स्वतंत्र होगा कि वह हमारे टेंडर/वर्क ऑर्डर को अस्वीकार/समाप्त कर सके और बैंक किसी भी कानूनी कार्रवाई को कानून के अनुसार शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का जब्ती करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित टेंडरों में भाग लेने से हमें वर्जित करना शामिल है।

बोल्टर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम के साथ मुहर

अनुसूची सी – संस्थागत ब्यौरा

निविदाकर्ता का नाम				
व्यक्तिगत एकल स्वामित्व, साझेदारी अथवा लिमिटेड कंपनी				
साझेदारी फर्म / लिमिटेड कंपनी की स्थापना की तिथि				
डाक के लिए पता	स्थानीय पता		स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता	
पिन कोड				
टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित)	कार्यालय	निवास	फ़ैक्स	मोबाइल
ईमेल				

स्थान :

तिथि :

बोलिकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)

अनुसूची डी – शोधक्षमता प्रमाणपत्र

(बैंक के लेटरहेड पर)

संदर्भ सं.:

दिनांक:

जिससे भी संबंधित हो,

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं अभिलेखों के अनुसार, मेसर्स -----
----- (बोलीदाता का नाम, पूर्ण पते सहित), जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं, सम्माननीय हैं और ₹ -----
----- (राशि शब्दों में -----) तक के आदेशों को निष्पादित करने में सक्षम हैं। मेसर्स -----
----- हमारे बैंक के ग्राहक ----- से आज तक हैं तथा बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के
अंतर्गत उन्हें वर्तमान में निम्नलिखित सीमाएँ स्वीकृत की गई हैं:

यह प्रमाणपत्र ग्राहक के विशेष अनुरोध पर जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

अनुसिची ई – पंजीकरण ब्यौरा

क्रम	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकान और वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम		
5	पीएफ़/ईपीएफ़		
6	किसी प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन*) केंद्रीय नियम, 1971 तथा कोई अन्य विधिक प्रावधान आपकी फर्म पर लागू होते हैं?		
8	क्या आप अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/71 की धारा 12(1) के अंतर्गत लाइसेंस धारित करते हैं? यदि हाँ, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रदान किया जाए।		
9	ईएसआईसी पंजीकरण ब्यौरा		

मैं/हम यह घोषित करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें भली-भाँति समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची एफ़ - ग्राहकों की सूची
(जिनके लिए पिछले 3 वर्षों में समान कार्य किया गया था)

क्रम	ब्योरा	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त ब्योरा			
6.	संविदा प्रदान किए जाने की तिथि (संविदा प्रदान किए जाने का पत्र संलग्न करें)			
7.	ग्राहक का प्रमाणपत्र			

मैं / हम भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को मेरे / हमारे किसी भी ग्राहक से संदर्भ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची जी - बैंकर (बैंकरो) का ब्यौरा

क्रम	विवरण	बैंक 1	बैंक 2 और अधिक
1.	बैंक का नाम और पता		
2	बैंक से ली गई सुविधाओं का ब्यौरा (ऋण सुविधाओं सहित, यदि कोई)		
3.	संपर्क व्यक्ति		
4.	ईमेल आईडी		
5.	टेलीफ़ोन नंबर		
6.	फ़ैक्स नंबर		

मैं / हम भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को मेरे / हमारे किसी भी बैंकर से संदर्भ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची एच – सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा डिबारमेंट की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है।)

कार्य का नाम :

1. मैं / हम ----- (बोलीकर्ता का नाम) यह घोषणा करता/करते हैं कि,
- a) मैं / हम ----- (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड नहीं हैं।
- b) मैं / हम ने ----- (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) की स्थिति में, पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
- c) यदि मैं / हम को इस शीर्षकित कार्य के लिए कायदेशि प्रदान किए जाने से पूर्व, भारत या किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड किया जाता है, तो हम इसकी लिखित सूचना बैंक को देंगे।
2. मैं / हम ----- (बोलीदाता का नाम) यह घोषणा करता/करते हैं कि, मैं / हम -----
----- (भारत या किसी अन्य देश की सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड हैं, और यह ----- (तिथि) तक प्रभावी है। ऐसी सूचना पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर एवं हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: उपर्युक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं हो, उसे काट दें)